

फर्ट अहकॉम

(नियम 26)

जज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

- ① कानारम पुत्र खरपा राम कौर बनाम पक्षयुक्त अभियन्ता लवजपतिष्ठ निर्माण विभाग
- ② जारी जारी नि: मजली की बेटी नौखडा चमेरा ③
- ④ वदलीसदार नौखडा

किस्म मुकदमा राजस्थान वाद अधि. मुकदमा नम्बर 111/23

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
21/8/23	प्रार्थी / वादी / अपीलोट के वकील श्री <u>दलाराम</u> ने यह प्रार्थना पत्र / वाद / अपील धारा <u>188</u> राजस्थान काश्तकारी अधिनियम / भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोंडेंट जरीये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>29/8/23</u> को पेश हो।	
29/8/23	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण अनुपस्थित। अतः इलतवा होकर पत्रावली दिनांक <u>31/10/2023</u> को पेश हो।	सहायक कलक्टर (S.D.O.) गुडामालानी
31/10/23	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीनार आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इलतवा होकर पत्रावली आडम्बा <u>2/2/24</u> को पेश हो।	सहायक कलक्टर गुडामालानी
2/2/24	पत्रावली पेश हुई। आज हम दीनार आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। अतः इलतवा होकर पत्रावली आडम्बा <u>11/4/24</u> को पेश हो।	
03/04/24	पत्रावली आज पेश हुई। दिनांक 11/4/24 को मकामला घोषित होने के पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण अनुपस्थित। वादीगण अनुपस्थित। वादीगण को मय अनुपस्थित। कोई समय में तीक कार तीक-तीक काकोके डिलाई गये। वाददर काकोके डिलाई के अनुपस्थित रहने के अन्त उन्काक एकसण वादीगण की कदम इजकी व काफ पेशदी में कारिक किया जाता है। पत्रावली निर्णय सुकार होकर कारिकल उपकर हो।	

